सत्र समीक्षा

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का ग्यारहवां सत्र

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का ग्यारहवां सत्र बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर, 2018 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् ....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। सत्र का सत्रावसान दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
ग्यारहवां सत्र	3	सितम्बर माह – 5, 6 एवं 7

सदन में अव्यवस्था और बैठक का स्थगन

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 6 सितम्बर, 2018 को सदन की बैठक आरम्भ होते ही श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य ने विधान सभा द्वारा गत विधान सभाओं के प्रश्न व्यपगत किये जाने सम्बन्धी मुद्दा उठाया जिसके उपरान्त सदन में घोर अव्यवस्था से व्यवधान हो गया। फलस्वरूप सदन की बैठक 11.15 बजे से 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी। बैठक पुनः समवेत होने पर श्री डोटासरा द्वारा प्रस्तुत गौरव यात्रा सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव को आसन द्वारा अस्वीकार करने पर इनेकां के सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी करने के कारण सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हो गया, फलस्वरूप बैठक 12.17 बजे से 2.00 बजे तक स्थगित की गयी। बैठक पुनः समवेत होने पर भी व्यवधान जारी रहा।
2. दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को सदन की बैठक आरम्भ होते ही श्री रामेश्वर लाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में पैट्रोल–डीजल के दामों में हुई वृद्धि से महंगाई बढ़ने का मुद्दा उठाया। तत्पश्चात् कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर भारी–शोरगुल एवं नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर व्यवधान हो गया। फलस्वरूप सदन की बैठक 11.16 बजे से 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी। बैठक पुनः समवेत होने पर भी सदन के वैल में नारेबाजी एवं व्यवधान जारी रहने पर सदन की बैठक 12.30 बजे से 2.00 बजे तक स्थगित की गयी।

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 54 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 733 तारांकित व अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रश्नों में से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 320 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 32 तारांकित प्रश्न, प्रश्न–सूची में सूचीबद्ध किये गये। 23 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 10–10 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 3 सदस्यों ने 9–9, 2 सदस्यों ने 8–8 तथा शेष 15 सदस्यों ने इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। 3 महिला सदस्यों ने अधिकतम 10–10 प्रश्न प्रस्तुत किये। 6 सदस्यों के 2–2 प्रश्न तथा 20 सदस्यों के 1–1 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जिनमें दो महिला सदस्यों के दो–दो प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 413 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 47 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। 9 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 20–20 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 2 सदस्यों ने 18–18 तथा शेष 37 सदस्यों ने 17 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने अधिकतम 20 प्रश्न प्रस्तुत किये। 2 सदस्यों के 3–3, 8 सदस्यों के 2–2 तथा 25 सदस्यों का एक–एक प्रश्न सूचीबद्ध हुआ श्री हनुमान बेनीवाल तथा महिला सदस्यों में डॉ. मंजू बाघमार के सर्वाधिक 3–3 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

विभागानुसार विश्लेषण करने पर प्राप्त तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 26 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 23 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 20 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 2–2 प्रश्न शिक्षा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खान विभाग, श्रम एवं रोजगार, जल संसाधन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 52 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 32–32 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं शिक्षा विभाग तथा 25 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 7 प्रश्न नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा 6 प्रश्न खान विभाग से सम्बन्धित थे।

दलवार विश्लेषण करने पर ग्यारहवें सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 186 तारांकित प्रश्नों में से 21 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 91 में से 7, निर्दलीय सदस्यों के 32 में से 4 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा एनयूजेडपी के 10 में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 236 प्रश्नों में से 28 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के 103 में से 11, निर्दलीय सदस्यों के 60 में से 6 तथा एनयूजेडपी के 14 में से 2 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाए तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 36 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 40 अतारांकित प्रश्नों में से भी 8 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 284 तारांकित प्रश्नों में से 27 तथा 373 अतारांकित प्रश्नों में से 39 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 16 तारांकित प्रश्नों में से 3 तथा 23 अतारांकित प्रश्नों में से 4 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि एनयूजेडपी के 10 तारांकित में से कोई नहीं तथा 14 अतारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। तारांकित प्रश्नों में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 10 में से 2 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि अतारांकित 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। इसी प्रकार निर्दलीय सदस्य श्रीमती अंजू देवी धानका द्वारा प्रस्तुत एक अतारांकित प्रश्न भी सूचीबद्ध हुआ।

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 6 एवं 7 सितम्बर, 2018 को प्रश्नकाल हुआ। लेकिन व्यवधान के कारण प्रश्नकाल के दौरान दोनों दिवस सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से एक–एक प्रश्न पर ही सदन में चर्चा हुई।

स्थगन प्रस्ताव

ग्यारहवें सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 9 माननीय सदस्यों के 15 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गयी, इनमें से श्री हनुमान बेनीवाल के प्रस्ताव पर उन्हें दो मिनट बोलने की अनुमति दी गयी जिस पर गृह मंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया द्वारा अभ्युक्ति दी गयी। इनेकां के 5 सदस्यों ने 8, दो निर्दलीय सदस्यों ने 4, एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी ने 2 तथा भाजपा के श्री शंकर सिंह ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। महिला सदस्यों में एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी तथा इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत ने 2–2 प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 12 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं। सभी 12 सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 7 सदस्यों, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के श्री धीरज गुर्जर, श्री भंवरसिंह, श्रीमती शकुन्तला रावत, बहुजन समाज पार्टी के श्री पूरणमल सैनी तथा एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी द्वारा एक–एक सूचना प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत सूचनाओं में से 3 महिला सदस्यों द्वारा एक–एक सूचना प्रस्तुत की गयी। इनमें से भारतीय जनता पार्टी, इनेकां एवं एनयूजेडपी की एक–एक सदस्य थीं।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

ग्यारहवें सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 53, राजकीय उपक्रम समिति के 5, याचिका समिति, कार्य सलाहकार समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति तथा प्राक्कलन समिति 'क' का एक–एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2018–19 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन एवं मतदान

ग्यारहवें सत्र में दिनांक 5 सितम्बर, 2018 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री ने वर्ष 2018–19 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) का उपस्थापन किया जिसे दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को आसन द्वारा मुख बंद का प्रयोग कर पारित किया गया।

विधायी कार्य

(क) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 5 सितम्बर, 2018 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये–

1. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (वर्ष 2018 का अध्यादेश सं. 1)
2. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (वर्ष 2018 का अध्यादेश सं. 2)

3. राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (वर्ष 2018 का अध्यादेश सं. 3)
4. जयपुर जल प्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (वर्ष 2018 का अध्यादेश सं. 4)
5. जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (वर्ष 2018 का अध्यादेश सं. 5)

(ख) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है –

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
14/2018	राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018	5.9.2018	6.9.2018	6.9.2018
15/2018	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018	5.9.2018	6.9.2018	6.9.2018
16/2018	राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2018	7.9.2018	7.9.2018	7.9.2018
17/2018	अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018	5.9.2018	6.9.2018	6.9.2018
18/2018	राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018	5.9.2018	7.9.2018	7.9.2018
19/2018	श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट दौसा विधेयक, 2018	5.9.2018	6.9.2018	6.9.2018
20/2018	राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018	5.9.2018	7.9.2018	7.9.2018
21/2018	राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018	5.9.2018	6.9.2018	6.9.2018
22/2018	लॉर्ड्स विश्वविद्यालय चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018	5.9.2018	6.9.2018	6.9.2018
23/2018	श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय पीलीबंगा विधेयक, 2018	5.9.2018	6.9.2018	6.9.2018
24/2018	जयपुर जल प्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018	5.9.2018	7.9.2018	7.9.2018
25/2018	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018	5.9.2018	7.9.2018	7.9.2018

26/2018	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018	5.9.2018	6.9.2018	6.9.2018
27/2018	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018	5.9.2018	6.9.2018	6.9.2018
28/2018	राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018	5.9.2018	7.9.2018	7.9.2018
29/2018	राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018	5.9.2018	7.9.2018	7.9.2018
30/2018	राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2018	7.9.2018	–	–

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य ग्यारहवें सत्र में सदन में दिनांक 5 सितम्बर, 2018 को निम्नांकित दिवंगत व्यक्तियों के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया –

क्र.सं.	नाम	पद	निधन की तिथि
1.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	पूर्व प्रधान मंत्री	16.08.2018
2.	श्री सोमनाथ चटर्जी	पूर्व लोक सभाध्यक्ष	13.08.2018
3.	श्री बलराम दास टण्डन	पूर्व राज्यपाल, छत्तीसगढ़	14.08.2018
4.	श्रीमती उर्मिला सिंह	पूर्व राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश	29.05.2018
5.	डॉ. एम. करुणानिधि	पूर्व मुख्य मंत्री, तमिलनाडु	07.08.2018
6.	श्री आर.के. दोरेन्द्र सिंह	पूर्व मुख्य मंत्री, मणिपुर	30.03.2018
7.	राजमाता कृष्णा कुमारी	पूर्व सांसद, 5वीं लोक सभा	03.07.2018
8.	श्री धर्मपाल चौधरी	सदस्य, 11, 12 व 14वीं वि.स.	19.04.2018
9.	श्री टीकमचन्द कान्त	पूर्व सदस्य, 6,9,10 व 12वीं वि.स.	14.08.2018
10.	श्री रामकिशन वर्मा	पूर्व सदस्य, 7,8,10 व 11वीं वि.स.	10.05.2018
11.	श्री बनवारी लाल भिण्डा	पूर्व सदस्य, दसवीं विधान सभा	31.07.2018
12.	श्री प्रेम सिंह दहिया	पूर्व सदस्य, नौवीं विधान सभा	05.04.2018
13.	श्री जगन सिंह	पूर्व सदस्य, सातवीं विधान सभा	06.04.2018
14.	श्री छीतरलाल आर्य	पूर्व सदस्य, सातवीं विधान सभा	17.08.2018
15.	श्री शंकर लाल जाट	पूर्व सदस्य, 3,4 व 5वीं विधान सभा	20.06.2018
16.	श्री हरिसिंह	पूर्व सदस्य, चौथी व पांचवीं विधान सभा	04.06.2018
17.	श्री रामचन्द्र	पूर्व सदस्य, तीसरी व चौथी विधान सभा	23.06.2018
18.	श्री सुरेन्द्र सिंह	पूर्व सदस्य, चौथी विधान सभा	11.06.2018
19.	श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल	पूर्व सदस्य, तीसरी विधान सभा	23.08.2018
20.	केरल एवं देश के अन्य भागों में आयी बाढ़ के मृतकों के प्रति संवेदना।		

✧✧✧